संख्या-19/2019/108/71-3-2019-जी-158/2017टीसी-5

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 13 फरवरी, 2019

विषय:- केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अंतर्गत स्वशासी स्टेट मेडिकल कालेज, बहरइाच में प्रशासनिक संवर्ग के पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0-1/2018/3958, दिनांक 03-11-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अंतर्गत स्वशासी स्टेट मेडिकल कालेज, बहराइच में एम0सी0आई0 मानकानुसार प्रथम वर्ष एम0बी0बी0एस0 एल0ओ0पी0 हेतु प्रशासनिक संवर्ग के 08 पदों (सूची संलग्न), को अस्थायी रूप से दिनांक 28-02-2019 तक के लिए, बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाए, को निम्नांकित शर्तों के अधीन सृजित किए जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. उक्त पदों पर भर्ती एम0सी0आई0 मानकों तथा कार्यात्मक/वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप की जाए।
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन जिला चिकित्सालय, बहराइच हेतु सृजित प्रशासनिक संवर्ग के पदों को समयबद्ध तरीके से समाप्त किये जाने की कार्यवाही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जायेगी।
3. जिला चिकित्सालय, बहराइच में कार्यरत प्रशासनिक संवर्ग के कर्मियों को मेडिकल कालेज हेतु सृजित होने वाले समान वेतनमान के पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति पर तैनाती प्रतिनियुक्ति विषयक नियमों के अनुसार किया जाएगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0384-मेडिकल कालेज, बहराइच-31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-207/दस-2019, दिनॉक 07 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-19/2019/108(1)/71-3-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बहराइच।
8. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9. प्रभारी प्रधानाचार्य, स्वशासी स्टेट मेडिकल कालेज, बहराइच।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. नियोजन-अनुभाग-4
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-3
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-19/2019/108(1)/71-3-2019-जी-158/2017टीसी-5, दिनांक 13 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

स्वशासी स्टेट मेडिकल कालेज, बहराइच में प्रथम वर्ष एम0बी0बी0एस0 एल0ओ0पी0 हेतु प्रशासनिक संवर्ग के पदों का विवरण।

क्र0सं0	विभाग का नाम	पदनाम	पदों की संख्या	सादृश्य वेतन बैण्ड (रूपये)	सादृश्य ग्रेड/ए0जी0पी0 वेतन (रूपये)
क-	एकेडमिक				
1	सेन्ट्रल रिकार्ड सेक्शन	मेडिकल रिकार्ड आफीसर	01	9300-34800	4200
ख-	हास्पिटल सेक्शन				
1	हास्पिटल सेक्शन	चीफ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट	01	15600-39100	7600
		मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट	01	15600-39100	6600
2	सेन्ट्रल केजुअलिटी सर्विसेज	कैजुअलिटी मेडिकल आफीसर	04	15600-39100	5400
3	सेन्ट्रल वर्कशाप	सुपरिटेन्डेन्ट	01	9300-34800	4200
		कुल योग	08		

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।